

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,  
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी,2017

विषय- जिला कारागार अलीगढ़ के विचाराधीन बंदी मोहन सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह की दिनांक 29-08-2013 को हुई मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा मृतक बंदी के आश्रितों को रू0 50,000/- (पचास हजार मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक (प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-789/मा0अनु0(1)/239-2013, दिनांक 10-01-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, जिला कारागार अलीगढ़ के विचाराधीन बंदी मोहन सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह की दिनांक 29-08-2013 को हुई मृत्यु को हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या-32411/24/3/2013-जेसीडी, दिनांक 14-03-2016 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में बंदी मोहन सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को अन्तरिम राहत के रूप में रू0-50,000/- (पचास हजार मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2016-2017 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- 2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-2017 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।
- 3- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 14-03-2016 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- 4- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

5- महानिरीक्षक कारागार, उ०प्र० द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा० राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू०ओ०-ए-२-३६/दस-२०१६, दिनांक १६ मार्च, २०१६ की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

संख्या: १५/२०१७/१०१जे०(१)/२२-५-१७-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- २- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़/अधीक्षक जिला कारागार, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान बंदी के आश्रित/निकटस्त सम्बन्धी को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा० आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ३- कोषाधिकारी, अलीगढ़।
- ४- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-१ को इस आशय से प्रेषित दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली की सूचना प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।
- ५- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-४
- ६- अनुसचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-१
- ७- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।